## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 916 / 2014

संस्थापन दिनांक 16.10.2014

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## <u>बनाम</u>

1—धरमसिंह पुत्र मुन्नासिंह पाल उम्र 35 साल, निवासी रामकृष्ण आश्रम थाटीपुर ग्वालियर हाल दिनेशपाल का मकान गली नंबर 3 महलगांव ग्वालियर म.प्र.

– अभियुक्त

## <u>निर्णय</u>

( आज	दिनांकव	नो	घोषित	)

- उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 39 / 192 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.09.14 को 19:00 बजे रामस्वरूप जाटव के घर के सामने गोहद रोड गौतम नगर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर ऑटो कमांक एम0पी0—30—आर.1002 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना रिजस्टीकरण चिन्ह प्रदर्शित कर चलाया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.14 को फरियादी जीवन अ0सा01 अपनी पत्नी रेनू के साथ गोहद चौराहे पर ऑटो से बैठकर अपने घर घनश्यामपुरा आ रहा था तब शाम 7 बजे गौतम नगर पर आरोपी जिसके ऑटो में फरियादी बैठा था, ने अपना बिना नंबर का नया ऑटो तेजी व लापरवाही से चलाकर एल.पी. गाड़ी में टक्कर मार दी। तत्पश्चात फरियादी जीवलाल अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में देहाती नालिसी प्र0पी—1 दर्ज की गयी जिस पर से अप0क0 217/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :–
  - 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 17.09.14 को 19:00 बजे रामस्वरूप जाटव के घर के सामने गोहद रोड गौतम नगर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर ऑटो क्रमांक एम0पी0—30—आर.1002 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना रिजस्टीकरण चिन्ह प्रदर्शित कर चलाया ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष //

- 5. जीवनलाल अ०सा०१ ने कथन किया है कि वह आरोपी धरमिसंह को जानता है। दो वर्ष पूर्व वह अपने चिया ससुर के घर से साधन न मिलने के कारण ऑटो से घर आ रहा था तब ऑटो खाली था गोहद चौराहे के अंदर सड़क खराब होने से वह ऑटो में से बैठे हुए गिर गया जिससे उसे चोटें आईं जब उसकी पत्नी को खबर लगी तो वह उसे लेकर थाने पहुंची। देहाती नालिसी प्र0पी—1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका उपचार कराया था और पुलिस ने मौके पर ही आकर नक्शामौका प्र0पी—2 की लिखापढ़ी की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी धरमिसंह ने बिना नंबर के ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर गौतम नगर के पास एल.पी. गाड़ी में कट देकर टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आईं। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 6. अतः आहत जीवनलाल अ०सा०१ ने स्वयं को आई चोटें खराब रोड के कारण बैठे हुए गिरने से आना बताया है और इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने उपेक्षापूर्वक ऑटो को चलाया था। बिना रजिस्टीकरण के ऑटो को चलाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि आरोपी ने घटना दिनांक को ऑटो चलाया इस संबंध में ही जीवनलाल अ०सा०१ ने कथन नहीं किया है। जीवनलाल अ०सा०१ महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी दिनांक 17.09.14 को 19:00 बजे रामस्वरूप जाटव के घर के सामने गोहद रोड गौतम नगर थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर ऑटो कमांक एम०पी०—30—आर.1002 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना रजिस्टीकरण चिन्ह प्रदर्शित कर चलाया।

परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 39/192 मोटरयान 7. अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

8.

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। प्रकरण में जप्त ऑटो कमांक एम0पी0—30—आर.1002 आवेदक राजेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

EITH A Pare to The Tale to Tal

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0